

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश IV-सह-विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम , झंझारपुर

T.R.-346/2025

झंझारपुर थाना कांड संख्या-129/2020

G.R.-856/2020

CIS-437/2022

17-01-2026 प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त सोनू कुमार की ओर से नवीन शक्ति पत्र के साथ हाजिरी तथा अपना दोष स्वीकार करने के आशय का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित दाखिल किया गया है। जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी को दिया गया है शेष 1 अभियुक्त अनुपस्थित है।

वाद पुकारा गया। अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। उन्हें उसके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस पेपर दिया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर कहते हैं कि वह प्रस्तुत वाद के नामजद अभियुक्त है तथा वह धारा 290 भा० द० वि० एवं धारा 37(c) उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आरोपित है, वह अपना दोष स्वीकार करने को तैयार है।

उभय पक्ष को अभियोग के सारांश के विन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त को धारा 290 भा० द० वि० एवं धारा 37(c) उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत अभियोग का सारांश हिंदी में पढ़कर सुनाया गया। सुन व समझकर उन्होंने आरोपित धाराओं के प्रति अपराध करने कि गलती स्वीकार किया। तत्पश्चात अभियुक्त का धारा 313 द० प्र० सं० के अंतर्गत बयान लिपिबद्ध किया गया, इसमें उसने स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने कि बात कहा साथ ही यह भी कहा कि यह उनका प्रथम गलती है, भविष्य में उनके द्वारा गलती कि पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर उपरोक्त अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। किन्तु उक्त धाराओं में प्रथम अपराध होने पर चेतावनी के साथ अर्थदंड जमा करने पर रिहा करने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त अभियुक्त को धारा 290 भा० द० वि० के अंतर्गत अपराध के लिये मो० 200/- रुपया एवं धारा 37(c) उत्पाद अधिनियम अंतर्गत अपराध के लिये मो० 2500/- रुपया अर्थात कुल मो० 2700/- रुपया का अर्थदंड लगाया जाता है। अभियुक्त, अर्थदंड कि राशि नजार्त में जमा कर रसीद दाखिल करें, अर्थदंड कि राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 30 दिनों के कारावास में जाना होगा। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य में गलती कि पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। भविष्य में इस आदेश को साक्ष्य के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा।

लेखापित



विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम , झंझारपुर

पश्चात

17-01-2026 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त सोनू कुमार की ओर से मो० 2700/- रुपया कि राशि नजार्त, व्यवहार न्यायालय झंझारपुर में जमा कर रसीद संख्या 193/2026 दिनांक 17- 01-2026 समर्पित किया गया, तदनुसार अभियुक्त सोनू कुमार को इस वाद में उनपर आरोपित सभी धाराओं के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित



विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम , झंझारपुर

सुन
कुमार